File No. 2(10)/06-DPE (WC) Government of India Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises Department of Public Enterprises

Block 14, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi

Dated 8th December, 2006

OFFICE MEMORANDUM

Subject: 2nd Pay Revision Committee

The undersigned is directed to say that the 2nd Pay Revision Committee for revision of pay scales and other emoluments of Central Public Sector Enterprises executives has been set up. A copy of the Gazette Notification No. 2(10)/ 06-DPE (WC) dated 1.12.2006 indicating the composition of the Committee and its terms of reference is enclosed. The copy of the resolution is also available at the website <u>http://dpe.nic.in</u>.

Encl: As above.

(P.C. Cyriac) Director

- To 1. All Administrative Ministries.
 - 2. The Chief Executives of Central Public Sector Enterprises.
 - 3. All Financial Advisors in the Administrative Ministries.
 - 4. Deptt. of Expenditure, E-II Branch, North Block, New Delhi.
 - 5. The Comptroller & Auditor General of India, 10, B.S. Zaffar Marg, New Delhi.

Copy to 1. PMO, (Ms. V. Vidyavathi, Director) South Block, New Delhi.

- 2. Cabinet Secretariate, (Shri Rajeev Ranjan, Director) Rastrapathi Bhawan, New Delhi.
- 3. Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE) (Dr. S.M. Dewan, Director General) SCOPE Complex, Lodhi Road, New Delhi

HRAAM REALE VIEWER REALE

असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग I--खण्ड 1 PART I--Section 1 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	268]		नई दिल्ली,	शुक्रवार,	दिसम्बर 1,	2006/अग्रहार	मण 10, 1928	100 129
No.	268]	NEW	DELHI, F	RIDAY,	DECEMBE	R 1, 2006/A	GRAHAYANA 10,	1928

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2006

सं. 2 (10)/06/लोडवि-मजूरी कक्ष.-भारत सरकार विगत कुछ समय से सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों की वेतन संरचना में पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों पर विचार करती रही है। दिनांक 1-1-1997 से किए गए पिछले वेतन संशोधन के बाद से स्थितियां कई मामलों में बदल गई हैं।

2.1 समक्ष प्राधिकारी, वेतन संशोधन समिति के गठन का निर्णय लिया है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :--

सदस्य

अध्यक्ष

(सेवानिवृत न्यायाधीश, भारत का सर्वोच्च न्यायालय)(1) डॉ नीतीश सेनगुप्त

()

(अर्थशात्री एवं भूतपूर्व सदस्य-सचिव, योजना आयोग)

(2) श्री पी. सी. पारख

(भूतपूर्व सचिव, कोयला विभाग, भारत सरकार)

(3) श्री आर.एस.एस.एल.एन. भास्करूडु

न्यायमूर्ति श्री एम. जे. राव

(भूतपर्व प्रबंध निदेशक, मारुति उद्योग लि. तथा भूतपूर्व अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन मंडल)

पदेन-सदस्य (4) सचिव, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार

सचिव

संयुक्त सचिव, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार

2.2 समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :--

2.2.1 समिति केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के निम्नलिखित श्रेणियों के कार्यपालकों को दिए जाने वाले संपूर्ण पैकेज, जिसमें गैर-मौद्रिक प्रकृति वाले भी शामिल होंगे, को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन, भत्ते, अनुलाभों तथा अन्य लाभों के सिद्धांतों की जांच करेगी तथा उन परिवर्तनों के संबंध में सुझाव देगी, जो वांछनीय एवं व्यवहार्य हों :

(1)

(i) निदेशक मंडल स्तर के कार्यपालक

3780 GI/2006

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1]

निदेशक मंडल स्तर से नीचे के कार्यपालक

(iii) असंघबद्ध पर्यवेक्षकीय स्टॉफ

(ii)

2.2.2 समिति सिफारिशें करेगी ताकि सरकारी क्षेत्र के उधमों को आधुनिक, व्यावसायिक, नागरिक सहायक और सफल वाणिज्यिक उद्यम में परिवर्तित किया जा सके, जोकि लोगों की सेवा के प्रति समर्पित है ।

2.2.3 समिति उप-पैरा 2.2.1 में उल्लिखित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की श्रेणियों के लिए व्यापक वैतन पैकेंज तैयार करेगी जोकि ढांचों, संगठनों, पद्धतियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से दक्षता, उत्पादकता और अर्थव्यवस्था के संवर्धन से उपयुक्त रूप से संबद्ध हैं तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यम के भीतर कार्यात्मक और प्रचालनात्मक संवर्धन करते हैं, ताकि अर्थव्यवस्था के संवर्धन से उपयुक्त रूप से संबद्ध हैं तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यम के भीतर कार्यात्मक और प्रचालनात्मक संवर्धन करते हैं, ताकि अर्थव्यवस्था के संवर्धन से उपयुक्त रूप से संबद्ध हैं तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यम के भीतर कार्यात्मक और प्रचालनात्मक संवर्धन करते हैं, ताकि अर्थव्यवस्था के संवर्धन से उपयुक्त रूप से संबद्ध हैं तथा (सीडीए) पद्धति अथवा औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) पद्धति पर आधारित वेतनमानों की वर्तमान पद्धतियों, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के श्रेणीकरण जैसेकि अनुसूची 'क', 'ख', 'ग', और 'घ', मिनीरत्न, नवरत्न, घाटा उठाने वाले, लाभ अर्जित करने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और बीआईएफआर अथवा सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड को सौंपे गए उद्यमों पर भी विचार किया जाएगा। समिति केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों के संबंध में अलग से वेतन संशोधन संबंधी दिशानिर्देशों के मुद्दे की जांच करेगी।

2.2.4 समिति उभरते हुए राष्ट्रीय और सार्वभौमिक आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के क्रियाकलापों को सौहार्दपूर्ण बनाने की सिफारिश करेगी । इसमें अन्य तर्कसंगत बातों में कर्मचारियों का उपलब्ध लाभों की पूर्णता, यौक्तिकीकरण की आवश्यकता और उसका सरलीकरण, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के उद्यमों के अंतर्गत उपलब्ध वर्तमान वेतन ढांचा और सेवानिवृत्ति लाभ, देश में आर्थिक स्थिति, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंध में वित्तीय विवेक बनाए रखने की आवश्यकता, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संसाधनों और उसका सरलीकरण, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अंतर्गत उपलब्ध वर्तमान वेतन ढांचा और सेवानिवृत्ति लाभ, देश में आर्थिक स्थिति, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंध में वित्तीय विवेक बनाए रखने की आवश्यकता, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संसाधनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकास के कारण, उस सम्बन्ध में मांगों तथा सार्वभौमिक आर्थिक परिदृश्य और प्रतिस्पर्धी परिवेश को भी ध्यान में रखा जाएगा ।

2.2.5 समिति सामान्य सिद्धातों, वित्तीय मापदण्डों और शर्तों के संबंध में जांच करेगी तथा सिफरिशें करेगी, जिन्हें वांछनीय, व्यवहारिकृता, उत्पादकता से संबंधित प्रोत्साहन योजना और कार्यनिष्पादन से संबंधित अदायगियों को जारी रखने और संशोधित करने को शासित करना चाहिए ।

2:2.6 अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय समिति छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखेगी ।

3. समिति अपने विचारानुसार आवश्यक प्रक्रिया का निर्धारण करेगी । भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के मंत्रालय तथा विभाग और वे सभी जो आवश्यक सहयोग दे पाने की स्थिति में हों और वैसा कर सकने को स्वतंत्र हों, ऐसी संबद्ध सूचनाएं एवं दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे जो समिति के लिए अपेक्षित हों ।

4. समिति 18 माह की अवधि के भीतर अपनी सिफरिशें प्रस्तुत कर देगी और उसका मुख्यालय दिल्ली में होगा ।

5. समिति की सिफारिशों के बारे में सरकार के निर्णय 1-1-2007 से लागू होंगे ।

6. समिति की सहायता लोक उद्यम विभाग द्वारा की जाएगी।

कफ्लि देव त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

(Department of Public Enterprises)

RESOLUTION

New Delhi, the 30th November, 2006

No. 2(10)/06/DPE-WC. —The Government of India have been considering for some time past the changes that have taken place in the structure of emoluments of public sector executives over the years. Conditions have also changed in several respects since the last pay revision made with effect from 1-1-1997.

2.1 The competent authority has decided to appoint the Pay Revision Committee which comprises of the following :

Chairman

Mr. Justice M.J. Rao

(1) Dr. Nitish Sen Gupta

(Retired Judge, Supreme Court of India)

Members

(Economist & Former Member Secretary, Planning Commission, Government of India)

н,	[भाग I—खण्ड 1]		भारत का राजपत्र : असाधारण 3
		(2)	Shri P. C. Parakh
			(Former Secretary, Department of Coal, Government of India)
		(3)	Shri R.S.S. L.N. Bhaskarudu
			(Former Managing Director, Maruti Udyog Ltd. & Ex-Chairman, Public Enterprises Selection Board)
	Ex-Officio Member	(4)	Secretary, Department of Public Enterprises, Government of India

Secretary

Joint Secretary, Department of Public Enterprises, Government of India

2.2 The Terms of Reference of the Committee will be as follows:

2.2.1 The Committee will examine the principles that should govern present structure of pay, allowances, perquisites, and benefits for the following categories of Central Government Public Sector Enterprises (CPSEs) executives, taking into account the total package of benefits available to them including non-monetary ones, and suggest changes therein which may be desirable and feasible:

- (i) Board level functionaries
- (ii) Below Board level executives
- (iii) Non-unionised supervisory staff

2.2.2 The Committee will make recommendations so as to transform the CPSEs into modern, professional, citizenfriendly and successful commercial entities that are also dedicated to the service of the people.

2.2.3 The Committee will work out a comprehensive pay package for the categories of employees of CPSEs mentioned at sub-para 2.2.1 that is suitably linked to promoting efficiency, productivity and economy through rationalization of structures, organizations, systems and processes as well as promoting functional and operational autonomy within the Public Sector Enterprises with a view to leveraging economy, responsibility, transparency, discipline, accountability, assimilation of technology and research and development. The existing patterns of scales based on Central Dearness Allowance (CDA) pattern or Industrial Dearness Allowance (IDA) pattern, categorization of CPSEs such as Schedule 'A', 'B', 'C' and 'D', Miniratna, Navratna, loss, profit making CPSEs and CPSEs referred to BIFR or BRPSE may also be taken into account while evolving suitable pay packages. The Committee will also examine the issue concerning separate pay revision guidelines in respect of Navratna CPSEs.

2.2.4 The Committee will make recommendations to harmonize the functioning of the CPSEs with the demands of the emerging national and global economic scenario. This would also take into account, among other relevant factors, the totality of benefits available to the employees, need of rationalization and simplification thereof, the prevailing pay structure and retirement benefits available under the Central Public Sector Enterprises, the economic conditions in the country, the need to observe financial prudence in the management of the CPSEs, the resources of the CPSEs and the demands thereon on account of economic and social development and the global economic scenario and competitive environment.

2.2.5 The Committee will examine and make recommendations with respect to the general principles, financial parameters and conditions which should govern the desirability, feasibility and continuation/modification of the Productivity Linked Incentives Scheme and Performance Related Payments.

2.2.6 While finalizing its report, the Committee will also take into account the report of the Sixth Pay Commission.

3. The Committee will devise its own procedures as it may consider necessary. Ministries and Departments of the Government of India and State Governments will furnish such relevant information and documents as may be required by the Committee and which they are in a position and at liberty to give, and extend the necessary cooperation and assistance to it.

4. The Committee will make its recommendations to the Government within a period of 18 months and it will have its headquarters in Delhi.

5. The decision of the Government on the recommendations of the Committee will take effect from 1.1.2007.

6. The Committee will be serviced by the Department of Public Enterprises.

K. D. TRIPATHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.